



AREA OFFICE UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD. (A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)

Phone : 0522-2438108
Fax : 0522-2438108

B-25, SILANCILLARY ESTATE, NADERGANJ, AMOUSI, LUCKNOW-226 008, E-mail : upsic.aolucknow@gmail.com

आवश्यक सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों के नवीनीकरण एवं नये पंजीकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 23.04.2018 के क्रम में शासनादेश सं० 22/2017/869/18-2-2017-80(ल०उ०)/2017 दिनांक 15.02.2017 के बिन्दु 2.2 के उप बिन्दु 7 (1) (ए एण्ड बी) में अंकित निम्न विवरण के अनुसार इच्छुक इकाईयों पंजीकरण/नवीनीकरण करा सकती है:-

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर

1. सूक्ष्म निर्माता इकाईयों- 25.00 लाख तक प्लान्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होना चाहिए।
2. लघु निर्माता इकाईयों- 25.00 लाख से 5.00 करोड़ तक प्लान्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होना चाहिए।
3. मध्यम निर्माता इकाईयों- 5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक प्लान्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होना चाहिए।

सेवा प्रदाता सेक्टर

1. सूक्ष्म सेवा प्रदाता इकाईयों- 10.00 लाख तक प्लान्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होना चाहिए।
2. लघु निर्माता इकाईयों- 11.00 लाख से 2.00 करोड़ तक प्लान्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होना चाहिए।
3. मध्यम निर्माता इकाईयों- 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक प्लान्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होना चाहिए।

पंजीकरण शुल्क

1. सूक्ष्म इकाईयों हेतु- 5100.00+जी०एस०टी०
2. लघु इकाईयों हेतु - 10000.00+जी०एस०टी०
3. मध्यम इकाईयों हेतु -15000.00+जी०एस०टी०

नोट: उपरोक्त पंजीकरण 03 वित्तीय वर्ष के लिए वैध रहेगा।

कार्यसीमा

1. सूक्ष्म इकाईयों हेतु- 50.00 लाख तक
2. लघु इकाईयों हेतु - 1.00 करोड़ तक
3. मध्यम इकाईयों हेतु -असीमित

अतः उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धित इच्छुक इकाईयों वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु पंजीकरण/नवीनीकरण कराने का कष्ट करें।


(ए०के० अवस्थी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्र सं० 146 /उपसिक/क्ष०का०(ल)/2018-19
प्रतिलिपि:

दिनांक: 03.05.18

1. प्रबन्ध निदेशक शिविर को सूचनार्थ प्रेषित
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रोग्रामर एनालिस्ट को निगम वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित


(ए०के० अवस्थी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक